न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

Web Copy - Not Official

सख्या : 17/2016

रामगीता पत्नि सीताराम जाति ब्राहमण निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल हाले निवासी मांगरोल जिला बारां

प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. अंशुल पुत्र श्री सीताराम नि0 मकान न0 225 बसन्त बिहार कोटा
2. नेहा पुत्री श्री सीताराम नि0 मकान नं0 225 बसन्त बिहार कोटा जातिगण ब्राहमण निवासीगण मांगरोल हाल ध्यानचंद स्टेडियम के पास मकान नं0 225 बसन्त बिहार कोटा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188, 53 आर0टी0एक्ट0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैर
दायरा दिनांकः 13.04.2016

निर्णय दिनाक : 16.08.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में का संक्षिप्त निर्णय इस प्रकार है कि ग्राम पाडलिया तहसील मांगरोल में खसरा नं0 189 रकबा 5.04 है0 भूमि स्थित है जो वर्तमान में सीताराम पुत्र श्री भवानी शंकर मुत0 माधोलाल कौम ब्राहमण साकिन भटवाडा के नाम खातेदार में दर्ज है। उपरोक्त सीताराम पुत्र श्री भवानीशंकर का दिनांक 28.10.2015 को देहान्त हो गया है। प्रार्थीया सीताराम की विवाहित पत्नि है। उक्त आराजी सीतारामजी की स्वअर्जित सम्पत्तिया नही है उक्त आराजी सीताराम को अपने नामा माधोलाल के फौत होने पर मिली है। सीतारामजी के प्रार्थीया के अलावा अपने जीवनकाल में एक स्त्री जयश्री उर्फ चन्द्रकलां से नाजायज संबंध स्थापित किये जिससे एक लडका अंशुल व एक लडकी नेहा का जन्म हुआ जो इस वाद में अप्रार्थी कम 01 व 02 है। इस कारण उक्त आराजी में जय श्री उर्फ चन्द्रकलां को तो सीताराम जी की सम्पत्ति में कोई अधिकार नही मिलेगें लेकिन अंशुल व नेहा को जो इस वाद में अप्रार्थी कम 01 व 02 है को 1/2 अधिकार प्राप्त होगा व 1/2 अधिकार प्रार्थीया को प्राप्त होगा। क्योकि प्रार्थीया भी 1/2 हिस्सा काश्त कर रही है।

अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमियों पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा प्रार्थिया को अपने हिस्से से बेदखल करना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नही है। दिनांक 30.03.2016 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को धमकी दी कि व समस्त भूमियों को काश्त करके रहेगें, बमुश्किल वादी के समझाने से वापस

अप्रार्थी कम 1 व 2 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि व प्रार्थीया की 1/2 की भूमि को जबरन काश्त न करें एवं इस भूमि को रहन, बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण दिनांक 13.04.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा दिनांक 13.04.2016 को अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा चुका है। प्रकरण में दिनांक 16.08.2018 को वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गयी। प्रार्थीया के अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन ने बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसका उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम पाडलिया तहसील मांगरोल में खसरा नं0 189 रकबा 5.04 है0 आराजी सीताराम द्वारा स्वअर्जित ना होकर पैतृक प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थीया व अप्रार्थी कम 1 व 2 का बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्सा बनता है अतः अप्रार्थी कम 1 व 2, प्रार्थीया को ग्राम पाडलिया तहसील मांगरोल में खसरा नं0 189 रकबा 5.04 है0 आराजी में हिस्सा 1/2 में शांती पूर्वक काश्त करने देवे जिस संदर्भ में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगराल द्वारा दिनांक 13.04.2016 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद में निर्णय सुनाये जाने तक कन्फर्म किया जाता है एवं मूल वाद में निर्णय सुनाये जाने तक अप्राथीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम पाडलिया तहसील मांगरोल में खसरा नं0 189 रकबा 5.04 है0 आराजी को रहन–बेचान ना करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना